रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 1993/श्रावण 1, 1915
No. 252] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1993/SRAVANA 1, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 521(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124, की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई तथा अधिसूचना के साथ संलग्न सूची में ब्यौरे के अनुसार क्रमश दिनांक 21-1-93 और 29-1-93 को कलकत्ता राजपत्र में विधिवत प्रकाशित कलकत्ता पत्तन न्यास की उप-नियमावली में एक नई धारा 22 "ख" की समाविष्टि का अनुमोदन करती है।

[फा. सं. पी आर-16012/2/88-पी जी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

सूची

माघ 1 (बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 1993) शक 1914

भाग II—विज्ञापन, नोटिस

कलकत्ता पत्तन न्यास

अधिसूचना संख्या-460

कलकत्ता पत्तन न्यास के उप-विधि में नई धारा सं. 22बी को समाविष्ट करना।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) के शर्तों के अनुरूप, कलकत्ता पत्तन के वर्तमान उपविधि में निम्नलिखित अतिरिक्त धारा, जिसे कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल समाविष्ट करना चाहते है, को सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

"जलयान अथवा उसके कर्मचारी द्वारा न्यासियों के किसी सम्पत्ति अथवा हानि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर जलयान के मालिक अथवा मास्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तथा न्यासियों के पास उस जलयान को गोदी पर रोके रखने का अधिकार है जब तक वह क्षति पहुंचाए गए मात्रा के लिए प्रतिभूति न जमा कर दे :

क्षति/हानि के अनुमानित लागत को पूरा करते हुए मालिक/मास्टर द्वारा उचित प्रतिभूति जमा कर देने पर, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जलयान अथवा जलयानों को पत्तन छोड़ने की अनुमति दे सकते है बशर्ते कि वह मण्डल के किसी भी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

दिनांक : 21-1-1993

न्यासीमण्डल के आदेशानुसार,

पी. एन. सेन, सचिव,

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1993

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of **Section** 124 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Central Government **hereby approves** the incorporation of a new Clause No. 22B in the Bye-Laws of the **Port** of Calcutta made by the Board of Trustees of the Port of Calcutta,

in exercise of the powers conferred under Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 and duly published in the Calcutta Gazette dated 21-1-93 and 28-1-93 respectively, as detailed in the schedule annexed to this Notification.

[File No. PR-16012|2|88-PG]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

MAGHA 1, (THURSDAY, JANUARY 21, 1993) SAKA 1914

PART II—Advertisements. Notices

CALCUTTA PORT TRUST

NOTIFICATION No 460

Incorporation of a new Clause No. 22B in the Bye-laws of the Calcutta Port Trust

In accordance with the provision of sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the following additional clause in the existing Bye-laws of the Port of Calcutta which the Board of Trustees of the Port of Calcutta propose to incorporate is hereby published for general information :—

"Masters and Owners of vessels shall be held liable for any damage whatsoever that shall have been caused by their vessels or servants to any of the works or property of the Trustees and the Trustees reserve the right to detain their vessels in Dock until security has been given for the amount of the damage caused :

Provided that without prejudice to any rights of the Board, the Chairman or Deputy Chairman may allow the vessel or vessels to leave the Port on sufficient security being furnished by the Owner|Master to cover the estimated cost of damage|loss."

Dated : 21-1-1993.

By Order of Board of Trustees,
P. N. SEN, Secretary.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993